

प्रस्तावना

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित किया गया है। प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. लेखापरीक्षा ने 2007 से 2012 की अवधि के दौरान किन्नौर जिला में कार्यान्वित महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में किन्नौर जिला के उपायुक्त कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, मरुभूमि विकास परियोजना, जिला कार्यक्रम अधिकारी (एकीकृत बाल विकास सेवाएं), जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जिला स्वास्थ्य मिशन, पुलिस अधीक्षक, दो खण्ड, 20 ग्राम पंचायत (दो चयनित खण्डों के क्षेत्राधिकार में आने वाली), प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा किन्नौर जिले के विभिन्न जिला स्तरीय कार्यान्वयन अभिकरणों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जांच सम्मिलित है।
3. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी (2002) लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।